कार्यालय कलेक्टर / लाइसेंस प्राधिकारी, लखनऊ।

विज्ञप्ति संख्या 6366 / व्यवस्थापन / 2022–23 दिनांक 07, जनवरी, 2022

विज्ञप्ति

वित्तीय वर्ष 2022–23 की आबकारी नीति विषयक शासनादेश संख्या–02 / 2022 / 01 ई–2 / तेरह–2022–01 / 2020–1419282 दिनांक 01.01.2022 एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–19938 / दस–लाइसेंस–367 / सुझाव आबकारी नीति / 2022–23 दिनांक 02.01.2022 द्वारा दिये निर्देशों के अनुक्रम में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद लखनऊ में वर्ष 2022–23 हेतु देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडलशॉप एवं भांग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन दिनांक 09.01.2022 से प्रारम्भ होगा। सर्वप्रथम वर्ष 2021–22 में व्यवस्थित एवं नवीनीकरण के लिए अर्ह पायी गयी दुकानों के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र दिनांक 09.01.2022 (समय प्रातः 10:00 बजे) से दिनांक 21.01.2022 (समय सायं 05:00 बजे) तक ई–लॉटरी पोर्टल www.upexciseelottery.gov.in पर ऑनलाइन आमंत्रित किये जाते है। ऑनलाइन नवीनीकरण के पश्चात् जनपद की अवशेष मदिरा दुकानों का व्यवस्थापन ई–लॉटरी के प्रथम चरण के माध्यम से दिनांक 12.03.2022 (समय मध्यान्ह 12:00 बजे) एवं द्वितीय चरण के माध्यम से दिनांक 25.03.2022 (समय मध्यान्ह 12:00 बजे) से किया जायेगा।

जनपद मे मदिरा एवं भांग की फुटकर बिक्री की दुकानों का नवीनीकरण एवं अवशेष दुकानों को ई–लॉटरी के माध्यम से प्राप्त करने हेतु इच्छुक एवं अर्ह आवेदक जनपद की दुकानों की सूची, अन्य आवश्यक विवरण एवं शर्ते जनपद की वेबसाइट www.lucknow.nic.in तथा ई–लॉटरी पोर्टल www.upexciseelottery.gov.in पर देखी जा सकती है।

(सुशील कुमार मिश्रा)
जिला आबकारी अधिकारी
लखनऊ।

(अभिषेक प्रकाश)
कलेक्ट्रेट / लाइसेंस प्राधिकारी
लखनऊ।

सेवा में,

1. सम्पादक हिन्दी दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण एवं हिन्दुस्तान, कृपया उपरोक्त विज्ञप्ति अपने सम्मानित समाचार पत्र में न्यूनतम साइज (बाक्स में) प्रकाशित करते हुए भुगतान हेतु बिल अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
2. जिला विज्ञान सूचना अधिकारी लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित की उक्त विज्ञप्ति जिला की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

जिला आबकारी अधिकारी
लखनऊ।